विविध बैंक प्रकरण संख्या 77/2021(GCMS : 2021/214) **पंजाब नेशनल बैंक, शाखा सादुलशहर,** प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री निशान्त खुराना, कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक मीरा चौक, श्रीगंगानगर (राज.) **बनाम 1. मैसर्स न्यू ब्रदर्स ऑटोमोबाईल्स – प्रो. सुरेन्द्र सिंह पुत्र** मेजर सिंह निवासी वार्ड नं 12, सैक्टर 1, देवेन्द्र पैट्रोल पम्प के सामने, संगरिया रोड, सादुलशहर – 335062 (राज.) **2. मेजर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह** निवासी वार्ड नं 12, सैक्टर 1, देवेन्द्र पेट्रोल पम्प के सामने, संगरिया रोड, सादुलशहर – 335062 (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 30.11.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स न्यू ब्रदर्स ऑटोमोबाईल्स– प्रो. सुरेन्द्र सिंह, मेजर सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 30.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण दिनांक 11.11.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मेजर सिंह ने अपनी संपत्ति प्लॉट नं. 80 का भाग (पश्चिम भाग – दक्षिण मुखी) (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) सैक्टर नं. 1, वार्ड नं 12, सादुलशहर श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 12.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30[illegible] को 27,21,338/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य [illegible] के बकाया है जिस पर अप्रार्थी को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक [illegible] 05.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.06.2021 को भिजवाया गया है इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी मेजर सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधर रखी गई संपत्ति प्लॉट नं. 80 का भाग (पश्चिम भाग – दक्षिण मुखी) (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) सैक्टर नं. 1, वार्ड नं 12, सादुलशहर श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स न्यू ब्रदर्स ऑटोमोबाईल्स–प्रो. सुरेन्द्र सिंह, मेजर सिंह को 30.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये तीस लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 11.11.2019 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मेजर सिंह द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति प्लॉट नं. 80 का भाग (पश्चिम भाग – दक्षिण मुखी) (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) सैक्टर नं. 1, वार्ड नं 12, सादुलशहर श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 12.05.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 31.05.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.06.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मेजर सिंह द्वारा अपनी **सम्पत्ति प्लॉट नं. 80 का भाग (पश्चिम भाग – दक्षिण मुखी) (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) सैक्टर नं. 1, वार्ड नं 12, सादुलशहर श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।** इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 31.05.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 31.05.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 05.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं **अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मेजर सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और **अप्रार्थी ऋणी मेजर सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 80 का भाग (पश्चिम भाग – दक्षिण मुखी) (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) सैक्टर नं. 1, वार्ड नं 12, सादुलशहर श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested